



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-315-औ0सं0-17/पाकालि/2021-11(5)ए0एस0/11

दिनांक 23 जनवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org/Medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औस-17/पाकालि/ 2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या-3464-औस/2017/पाकालि/2003 दिनांक 09.07.2003 एवं आदेश संख्या-2691-औस/पाकालि/2016 दिनांक 29.06.2016 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य अभियंता (वितरण) नोयडा क्षेत्र, नोयडा गौतमबुद्धनगर के पत्रांक-3416/मु0अभि0वि0/नो0क्षे0/नो0 दिनांक 26.11.2020 एवं पत्रांक-3418/मु0अभि0वि0/नो0क्षे0/नो0 दिनांक 26.11.2020 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या-CMEE2112434 दिनांक 10.01.2021 जो दिनांक 10.01.2021 से 30.04.2021 तक नवीनीकृत है एवं संख्या-CMEE2112443 दिनांक 10.01.2021 जो दिनांक 10.01.2021 से 30.04.2021 तक नवीनीकृत है, के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित चिकित्सालयों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा दिनांक 30.04.2021 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है:-

1. यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेण्टर, प्लाट नं0-एन0एच0-32, एच0ओ0-1 सेक्टर-औमेगा-1, ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्धनगर)। (मो0 नं0-9910373300)
2. यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, प्लाट नं0-एन0एच0-1, सेक्टर-110, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)।

उपर्युक्त चिकित्सालयों में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन0जी0-2/एस0ई0बी0(चार) 29-एन0जी0-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश संख्या-3330-औ0सं0/18-11(28)ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08.8.2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2021 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा एवं भर्ती होकर उपचार कराने वाले कर्मिकों का 24 घण्टे के अन्दर मेल आई0डी0 upclipdtreatment@gmail.com पर निम्नलिखित सूचना सहित मरीज का फोटो अपलोड करना होगा :-
 (क) रोगी का नाम।
 (ख) कर्मिक/पेन्शनर का नाम/पदनाम।
 (ग) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कर्मिक से सम्बन्ध।
 (घ) कर्मिक/पेन्शनर का मोबाइल नं0।

Nat Mathur

क्रमशः 2/-

- (ङ) कार्यालय/पेन्शन यूनिट का नाम।
 (च) कार्मिक का आईडी0 कार्ड की प्रति।

5. अस्पताल प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।
6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।
7. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-315 (1)/औसं-17/पाकालि/2021-तददिनांक :-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 13. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org/ **E-Book** पर अपलोड करने हेतु।
14. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

Naft Math

क्रमशः 3/-

(3)

15. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

स्पीड पोस्ट

16. डा० अजय त्यागी, यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, प्लॉट नं०-एन०एच०-32, एच०ओ०-1 सेक्टर-औमेगा-1, ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्धनगर)।

स्पीड पोस्ट

17. डा० अजय त्यागी, यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, प्लॉट नं०-एन०एच०-1, सेक्टर-110, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)।

18. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

19. कट फाइल।

N of Mathur
(नवनीत माथुर) 23.1.21
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी